आन्तिम डिकरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम .... कनवास

ब इजलास .... जनक सिंह R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास

राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी साबरमती कालोनी कोटा जिला कोटा .... बनाम .... राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास

दावा बाबत .... अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

मुकदमा नं. .... 38/17 .... सन् .... 2017 तारीख फैसला 12/10/17

....

यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .... उपखण्ड अधिकारी कनवास

ब हाजरी वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार तिवारी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पेरोकार सरकार स्वयं उपस्थित .... मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादग्रस्त आराजी माल ग्राम ओंवा तहसील कनवास जिला कोटा में खाता नं 685 के ख० नं० 814 की 0.01 हे० किता मे गुo चाह एवं ख० नं० 815 की रकबा 2.54 हे कुल किता 2 की रकबा 2.55 हे० राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम के आगे दर्ज "रिज्यूम" शब्द हटाया जावे। तदनुसार आन्तिम डिक्री जारी की जाती है

नीज .... x .... मुबलिग .... x .... बाबत .... x ....

खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह .... x .... फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक .... x .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... 12 .... माह .... 10 .... 2017 ....

को जारी की गई

दस्तखत .... जनक सिंह RAS
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मोहर ....

ओहदा ....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	NIL		स्टाम्प वकालतनामा ''''	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा ''''		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जनकसिंह आर.ए.एस

प्रकरण स. 38/2017

राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकृष्ण आयु 70 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी साबरमती कोलोनी कोटा जिला कोटा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास –

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

12.10.2017

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट प्रस्तुत किये गये वाद पत्र दिनांक 27.09.2017 के सन्क्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खाते एवं कब्जे की ग्राम आवां तहसील कनवास जिला कोटा में खाता स. 685 के खसरा न. 814 की 0.01है0 किस्म गे. मु. चाह एवं खसरा न. 815 की रकबा 2.54 है0 कुल 2 किता की 2.55 है0 की आराजी स्थित है, जिस पर वादी किसान क्रेडिर्ट कार्ड बनाकर ऋण प्राप्त करना चाहता है,जिसके संबंध में वादी ने आठ दिन पूर्व सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा आवां के शाखा प्रबंधक के समक्ष वादी के खाते की नकल जमाबंदी प्रस्तुत की तो नकल जमाबंदी में वादी के नाम के पहले "रिज्यूम" शब्द का अंकन होने से उन्होने किसान क्रेडिर्ट कार्ड बनाकर ऋण देने में असमर्थता जताई ,उन्होने उक्त आराजी की नकल जमाबंदी में "रिज्यूम" शब्द के अंकन को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर हटावे तब ही वह ऋण दे सकते है। वादी के नाम के पहले "रिज्यूम" शब्द का कोई ओचित्य नही है, रिज्यूम शब्द का अंकन होने से भ्रम की स्थिति पेदा हो रही है। इसलिए वादी ने उसके खाते की ग्राम आवां तहसील कनवास में खाता स. 685 के खसरा न. 814 की 0.01है0 किस्म गे. मु. चाह एवं खसरा न. 815 की रकबा 2.54 है0 कुल 2 किता की 2.55 है0 के राजस्व रेकार्ड से नकल जमाबंदी में खातेदार के रूप में वादी के नाम के पहले "रिज्यूम "शब्द के अंकन को हटाने की घोषणा चाहने के लिए इस न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार होने से यह वाद प्रस्तुत किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई ,जिस पर 11.10.2017 को प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें खातेदार के नाम के आगे रिज्यूम शब्द हटाने के लिए कानूनी बिन्दू वादी द्वारा साबित करने को कहां ,जिस पर

1. आया वादी ग्राम आवां पटवार हल्का आवां तहसील कनवास के खाता स. 685 के खसरा न. 814 की 0.01है0 किस्म गे. मु. चाह एवं खसरा न. 815 की रकबा 2.54 है0 कुल 2 किता की 2.55 है0 आराजी में खातेदार के नाम के पहले अंकित "रिज्यूम " शब्द हटाने का अधिकारी है।

2. अनुतोष

दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व कानूनी बिन्दू के आधार पर प्रकरण को निर्णित करने में सहमती जताई, जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई । उक्त आराजी सदेव से वादी की खातेदारी व शान्ति पर्ण कब्जे में चली आ रही है। सरकार द्वारा उक्त "रिज्यूम" शब्द समाप्त कर किसानो को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये है। ऐसी स्थिति में रिज्यूम शब्द का कोई ओचित्य नही है। उक्त आराजी राज. टी.एक्ट लागू होने से पूर्व ही वादी व वादी के पूर्वजो के खाते चली आ रही थी। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनग्रहण अधिनियम लागू होने के बाद रिज्यूम शब्द स्वतः ही समाप्त किया जाना चाहिए था। सम्पूर्ण राजस्थान में सेवादारो को खुद काश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने हमारे ध्यान में प्रस्तुत उद्वरण आर.आर.डी 1985 पेज 298–303 सरकार बनाम हरकलाल एवं आर.बी.जे. 2006 पेज 190–192 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, सरवनजीत बनाम सरकार व अन्य की ओर हमारा ध्यान आकृषित कराया जिसमें 01.07.1963 को माफी के पुनः ग्रहण होने पर राजस्थान सरकार भूमि धारक के स्थान पर विपक्षीगण को धारा 13 आर.टी.एक्ट. एव धारा 9 एवम 10 जागीर एक्ट के अनुसार खातेदार के रूप में सही दर्ज किया गया। राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ 2 (682) Rev/ B/62 दिनांक 05.06.1963 एवं दिनांक 11.03.1966 व अधिसूचना दिनांक 10.05.1966 से तथा R.T-Act की धारा 193 के अनुसार ग्राम कें सेवा दारो व माफी चोकीदारी, माफी ग्राम बलाई, आदि अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो गया।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड ,पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्वरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कृष पर पहुचते है कि वाद पत्र के मद न. 1 में वर्णित ग्राम आवां तहसील कनवास की खाता स. 685 के खसरा न. 814 की 0.01है0 किस्म गे. मु. चाह एवं खसरा न. 815 की रकबा 2.54 है0 कुल 2 किता की 2.55 है0 में वादी के नाम के आगे दर्ज "रिज्यूम" शब्द हटाया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि माल ग्राम आवां पटवार हल्का आवां तहसील कनवास जिला कोटा में खाता स. 685 के खसरा न. 814 की 0.01है0 किस्म गे. मु. चाह एवं खसरा न. 815 की रकबा 2.54 है0 कुल 2 किता की 2.55 है0 के राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम के आगे दर्ज " रिज्यूम " शब्द को हटाया जावे। तदानूसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।